हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 4);
2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 5); और
3. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6) ।

3. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0टी0सी0ए(3)-3/2003(ए.ओ) दिनांक 17-02-2017 व 04.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27-02-2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0टी0सी0ए(3)-1/01 दिनांक 17-02-2017 व 04.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27-02-2017 व 24.03.2017 को प्रकाशित ।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15(विलम्ब के कारणों सहित) ।

(4) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15(विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत पंचायत के लेखों का संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पी0सी0एच0-एच0ए(3)4/2011-II दिनांक 06.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.03.2017 को प्रकाशित ।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन :

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) जोकि समिति के 60वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **49वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी**, दिनांक 2 फरवरी, 2017 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"ए0डी0एम0 से लगाई लापता बेटी को ढूंढने की गुहार"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह** , दिनांक 28 मार्च, 2017 को दिव्य हिमाचल समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"वाशिंग मशीन और साइकिल के भी सरकार ने वसूले पैसे"**, सेउत्पन्न स्थिति की ओर **उद्योग मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

6. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन:

श्रीमती विद्या स्टोक्स,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि:-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

7. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3)	हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4)	हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)	राज्य में छ: वर्ष की आयु से कम के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों (ईसीसीई) के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

8. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :</u>

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज (63-शिमला),** शिमला में टालैण्ड-खलीणी सम्पर्क मार्ग के साथ अधूरे फुटपाथ का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजगढ़ नगर पंचायत की सड़कों की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू की गई e-Tendering प्रक्रिया के दृष्टिगत ई0पी0एफ0 पंजीकरण समाप्त करने तथा अधिशाषी एवं सहायक अधिशाषी अभियन्ताओं की निविदायें आमंत्रित करने की शक्तियां बढ़ाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर),** जिला मण्डी के अन्तर्गत नागरिक अस्पताल जोगिन्द्रनगर में रिक्त पड़े डाक्टरों विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरद्वारा में रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** जिला कुल्लू के अन्तर्गत गांव डोमी, ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नगर में काली ओड़ी मन्दिर से गांव जौला तक सम्पर्क सड़क की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत तथा पक्का करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** मनाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कुमारहरटी, ग्राम पंचायत हलाण-I में आयुर्वेद विभाग की खाली पड़ी भूमि को ग्राम पंचायत हलाण-I के नाम शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

शिमला-171004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 30 मार्च, 2017 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)